

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/नियमन/फल-सब्जी/212/1961

भोपाल, दिनांक 31/05/2019

प्रति,

- 1 संयुक्त/उप संचालक,  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
आंचलिक कार्यालय,  
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/सागर/रीवा
- 2 भारसाधक/सचिव  
कृषि उपज मण्डी समिति  
..... म0प्र0 (समस्त)

विषय:-कृषि उपज मंडियों में फल-सब्जियों की आवक पर मंडी फीस उद्ग्रहण के संबंध में।

संदर्भ:-उपविधि संशोधन आदेश क्रमांक/बी-6/नि./उपविधि संशो./36/पार्ट-4  
/690 दिनांक 05.12.2018 .

1/ प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में फल-सब्जियों की आवक पर मंडी फीस उद्ग्रहण की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के संबंध में समय-समय पर निर्देशित किये जाते रहे हैं। इस विषय में उपविधि में किए गए संशोधन आदेश की छायाप्रति संलग्न है। किन्तु अभी भी अलग-अलग मंडियों में अलग-अलग प्रथा दृष्टिगोचर हो रही जैसा कि-

2/ कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर के निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया है कि जो वाहन मंडी में बाहर से फल-सब्जी लेकर आ रहे हैं, उनकी बिल/बिल्टी एवं तौल कांटे पर किये गये वजन के आधार पर मण्डी फीस की वसूली की जाती है, जिसके लिए मण्डी सचिव ने फल-सब्जीवार प्रत्येक क्विंटल के भाव की दरों को पूर्व से निर्धारित कर मण्डी के गेट पर सूची उपलब्ध कराई गई तथा आवक की मात्रा की गणना के आधार पर मण्डी फीस संबंधित वाहन से वसूली जाती है तथा निकासी पर कोई मण्डी फीस नहीं ली जाती है।

3/ जबकि अन्य मंडियों में सामान्यतः निकासी पर जो कच्चा बिल संबंधित कार्यकर्ता/परिवहनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और उसमें जो मात्रा तथा दर दर्शाई जाती है, उस मात्रा पर मंडी फीस की गणना कर मण्डी फीस उद्ग्रहित की जाती है। कच्चे बिल पर मात्रा एवं दर्शाई गई क्व राशि की सत्यता स्थापित करने की कोई व्यवस्था वर्तमान में नहीं है।

4/ इसी प्रकार कुछ मंडियों में वाहनों के अधिक भार को देखते हुए अथवा छोटे वाहनों के लिए पूर्व से निर्धारित अलग-अलग राशि की पर्ची छपवाई जाकर उनको जारी कर मंडी फीस उद्ग्रहित की जाती है।


5/ प्रदेश की अलग-अलग मंडियों में अलग-अलग प्रथा होना सही नहीं है। इस विषय में आपको निर्देशित किया जाता है कि फल सब्जी विपणन के लिए उपविधि संशोधन आदेश दिनांक 05.12.2018 में निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाना सुनिश्चित करे।

6/ इसके अतिरिक्त फल सब्जी मंडियों की निगरानी हेतु निम्न व्यवस्था भी की जावे -

- 1/ फल-सब्जी मंडी निकासी द्वार पर सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित किया जाये।
- 2/ वाहन अनुसार वाहन के लोड का युक्तियुक्त करण कराये जाये (आर.टी.ओ. कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त कर)।
- 3/ मासिक रिपोर्ट में फल एवं सब्जी की आवक एवं मंडी शुल्क से आय की मासिक जानकारी (अनुसूची में सम्मिलित प्रत्येक जिन्स का जिन्सवार) प्रेषित की जायें।

अतः उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न :- उपविधि संशोधन  
- आदेश दि. 05-12-2018

  
(फौज अहमद किदवई)


प्रबंध संचालक सह-आयुक्त  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

क्रमांक/नियमन/फल-सब्जी/212/1962.

भोपाल, दिनांक 31/05/2019

प्रतिलिपि:-

- (1) अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
- (2) चीफ प्रोग्रामर, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर मण्डी बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु। मंडियों से फल सब्जी (अनुसूची में सम्मिलित प्रत्येक जिन्स का जिन्सवार) आवक व मंडी शुल्क से आय की मासिक जानकारी अद्यतन संधारित रखी जावे।
- (3) गार्ड फाईल।

  
प्रबंध संचालक सह-आयुक्त  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./बी-6/नि./उपविधि संशो./36/पार्ट-4/690

भोपाल, दिनांक 05/12/2018

—: आदेश :-

म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (कमांक 24 सन् 1973) की धारा 81 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में अधिसूचित कृषि उपजों की बेहतर नियमन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से कृषि उपज मण्डी समिति से यह अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समिति का सम्मेलन आहूत कर, फल सब्जी विपणन के लिए उपविधि सन् 2000 में निम्नानुसार संशोधन कर नवीन उपबंध अनिवार्य रूप से स्थापित करे :-

क	उपविधि कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	2(ठ)	'अनुबन्ध' से अभिप्रेत है अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय का लिखित करार जो मण्डी समिति में पदस्थ कर्मचारी द्वारा सम्पन्न कराया जाए।	'अनुबन्ध' से अभिप्रेत है अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय का लिखित करार जो मण्डी समिति में पदस्थ कर्मचारी/ अनुज्ञापिधारी आढतिया द्वारा सम्पन्न कराया जावे।
2	2(व)	आढतिया परिभाषित नहीं है	'आढतिया' (कमीशन एजेन्ट) से अभिप्रेत है कि, ऐसा कृत्यकारी जो मण्डी प्रांगण में विक्रय हेतु लाई गई कृषि उपज को विक्रय हेतु उचित स्थल पर उतरवाये, खुले घोष विक्रय के माध्यम से उपज विक्रेता की सहमति से अधिकतम मूल्य पर विक्रय करे, उपज तौल के पश्चात् तत्समय विक्रेता को उपज का भुगतान करें। विक्रीत उपज का उठाव होने तक रख रखाव सुनिश्चित करे।
3	4(4)	घोष विक्रय द्वारा मूल्य तय होने के पश्चात् कमीशन एजेंट, द्वारा क्रेता एवं विक्रेता के पक्ष में कमशः सफेद, हरा, गुलाबी, एवं पीले रंग की चार प्रतियों में अनुबन्ध निष्पादित किया जावेगा। सफेद प्रति मूल प्रति होगी जो मण्डी के अभिलेख में रहेगी। शेष नीचे की तीन प्रति में से हरे रंग की प्रति विक्रेता को तथा गुलाबी रंग की प्रति क्रेता की दी जायेगी, पीली प्रति कमीशन एजेंट अपने पास रखेगा। अनुबन्ध प्ररूप-एक में निष्पादित किया जावेगा। अनुबन्ध पत्र पर कमीशन एजेंट के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।	घोष विक्रय द्वारा मूल्य तय होने के पश्चात्, कमीशन एजेंट द्वारा पंजी में विक्रीत दर अंकित की जावेगी, जिसका उल्लेख भुगतान के समय जारी किये जाने वाले प्ररूप में जो सफेद, हरा, गुलाबी एवं पीले रंग की चार प्रतियों में होगा में किया जावेगा। सफेद प्रति मूल प्रति होगी जो मण्डी के अभिलेख में रहेगी। शेष नीचे तीन प्रति में से हरे रंग की प्रति विक्रेता को तथा गुलाबी रंग की प्रति क्रेता को दी जाएगी, पीली प्रति कमीशन एजेंट अपने पास रखेगा। अनुबन्ध/ तौल/ भुगतान एवं बिल प्ररूप-एक में निष्पादित किया जावेगा। प्ररूप पर कमीशन एजेंट एवं विक्रेता के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
4	5(1)	अनुबंध पत्रक/सौदा पत्रक के निष्पादन के पश्चात् की प्रक्रिया:- अनुबन्ध पत्रक द्वारा क्रय की गई कृषि उपज की तौल या माप अनुज्ञापिधारी कृत्यकारी द्वारा मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण में की जाएगी।	विक्रीत कृषि उपज का तौल या माप अनुज्ञापिधारी कृत्यकारी द्वारा मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण में किया जावेगा। मंडी समिति द्वारा स्थापित तौल कांटो की तौल पर्ची को भी मान्य किया जायेगा।

5	5(3)	अनुबन्ध पत्रक/सौदा पत्रक के आधार पर कमीशन एजेन्ट द्वारा क्रेता तथा विक्रेता के पक्ष में कमशः सफेद, हरा, गुलाबी एवं पीला रंग की चार पर्चियों में भुगतान पत्रक निष्पादित किया जायेगा। प्ररूप-तीन सफेद प्रति मूल प्रति होगी, जो कमीशन एजेन्ट के पास रहेगी शेष नीचे की तीन प्रतियों में से हरे रंग की प्रति विक्रेता को, गुलाबी रंग की प्रति मंडी समिति को आगामी कार्य दिवस में प्रस्तुत की जावेगी। पीले रंग की प्रति क्रेता को दी जायेगी।	तौल के पश्चात् कमीशन एजेन्ट द्वारा क्रेता तथा विक्रेता के पक्ष में कमशः सफेद, हरा, गुलाबी एवं पीला रंग की चार पर्चियों में अनुबन्ध/ तौल/भुगतान पत्रक निष्पादित किया जावेगा। प्ररूप-एक सफेद प्रति मूल प्रति होगी जो मण्डी में अगले कार्य दिवस में प्रस्तुत की जावेगी। शेष नीचे की तीन प्रति में से हरे रंग की प्रति विक्रेता को तथा गुलाबी रंग की प्रति क्रेता को दी जायेगी। पीली प्रति कमीशन एजेन्ट अपने पास रखेगा।
6	5(4)	फल अथवा सब्जी के कय विक्रय पर कमीशन एजेन्ट द्वारा फल सब्जी के विक्रय मूल्य का 02 प्रतिशत की दर से कमीशन नियोक्ता व्यापारी से प्राप्त किया जावेगा। मण्डी फीस कमीशन एजेन्ट द्वारा क्रेता व्यापारी से वसूल की जायेगी तथा मण्डी समिति में जमा की जायेगी।	फल सब्जी के कय- विक्रय पर कमीशन एजेन्ट द्वारा फल सब्जी के विक्रय मूल्य का वर्तमान में लागू 2 प्रतिशत की दर से कमीशन नियोक्ता व्यापारी से प्राप्त किया जावेगा। मण्डी फीस क्रेता व्यापारी द्वारा उपज निकासी के समय मण्डी समिति द्वारा नियत किये गये स्थान पर जमा की जायेगी।
7	8(5)	मण्डी फीस उद्ग्रहण:- मण्डी फीस कृषि उपज के क्रेता से उद्ग्रहीत की जायेगी और विक्रेता को संदेय कीमत में से नहीं काटी जायेगी। परन्तु जहां किसी अधिसूचित कृषि उपज का क्रेता पहचानना ना जा सके वहां समस्त फीस उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगी जिसने की उपज को बेचा हो या जो उपज को मण्डी क्षेत्र में विक्रय के लिये लाया हो, यह और की कमीशन एजेन्ट द्वारा संव्यवहार कराने की दशा में मण्डी फीस कमीशन एजेन्ट द्वारा संग्रहित की जायेगी तथा मण्डी समिति कार्यालय में जमा की जायेगी परन्तु यह भी कि वाणिज्यिक संव्यवहार के लिये या प्रसंस्करण के लिये मण्डी क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज पर मण्डी फीस यथा स्थिति, क्रेता या प्रसंस्करणकर्ता द्वारा उस दशा में मण्डी समिति के कार्यालय में चौदह दिन के भीतर जमा की जायेगी, यदि क्रेता या प्रसंस्करणकर्ता ने धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन जारी किया गया अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	मण्डी फीस कृषि उपज के क्रेता से उद्ग्रहित की जायेगी और विक्रेता को संदेय कीमत में से नहीं काटी जायेगी। परन्तु जहां किसी कृषि उपज का क्रेता पहचानना ना जा सके वहां समस्त फीस उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगी जिसने उपज को बेचा हो या उस उपज को मण्डी प्रांगण में विक्रय के लिये लाया हो, और यह कि कमीशन एजेन्ट द्वारा संव्यवहार कराने की दशा में मण्डी फीस क्रेता व्यापारी द्वारा मण्डी समिति में उपज निकासी के पूर्व या निकासी के समय जमा की जावेगी। परन्तु वाणिज्यिक संव्यवहार के लिये या प्रसंस्करण के लिये मण्डी प्रांगण/क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज पर मण्डी फीस यथा स्थिति क्रेता या प्रसंस्करण कर्ता द्वारा उस दशा में मण्डी समिति के कार्यालय में चौदह दिन के भीतर जमा की जायेगी, यदि क्रेता या प्रसंस्करण कर्ता ने धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन जारी किया गया अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।
8	8(8)	पाक्षिक विवरण प्रारूप दस 'क' एवं दस 'ख' कमीशन एजेन्ट लायसेंसधारियों के लिये है, बारह 'क' एवं बारह 'ख' प्रारूप प्रसंस्करणकर्ताओं के लिये है (पाक्षिक विवरण प्रत्येक माह की 1 तारीख से 15 तारीख तक का 25 तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा एवं प्रत्येक माह की 16	कमीशन एजेन्ट द्वारा प्रतिदिन निष्पादित किये गये अनुबन्ध/तौल/भुगतान/बिल का विवरण निर्धारित प्ररूप में अगले कार्य दिवस में मण्डी कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा। जिसने उपज लाये वाले क्रेता/विक्रेता का नाम एवं क्रेता व्यापारी का नाम तथा क्रेता/विक्रेता का मूल्य का उल्लेख होगा।

तारीख से अंतिम तारीख तक का पाक्षिक पत्रक आगामी माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा।) अनुज्ञापत्र की सूची भी उसी समयावधि की होगी जिस समयावधि का विवरण पत्रक है। जैसा कि प्रारूप में स्पष्ट है, प्रत्येक जिन्स के विषय में पूरी-पूरी जानकारी पाक्षिक विवरण पत्रक में दर्ज की जायेगी पाक्षिक विवरण पत्रको का मिलान अनुबंध, बिक्री प्रमाणक एवं अनुज्ञापत्र पंजी से किया जायेगा। विशेष रूप से यदि अनुज्ञापत्र समयावधि अर्थात् 14 दिवस में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तब पन्द्रहवे दिन या उसके पश्चात ब्याज सहित मण्डी फीस वसूल की जायेगी। समय पर विवरण पत्रक प्राप्त नहीं होने का तत्कालिक प्रभाव यह होगा कि उस कमीशन एजेन्ट/फर्म को अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया जायेगा। कृषि उपज के निर्गमन, विक्रय, प्रसंस्करण के पूर्व मण्डी फीस जमा/वसूल करना आवश्यक है इसके विवरण प्रारूप-दस 'क', 'ख' एवं प्रारूप-ग्यारह 'क', 'ख' में कमीशन एजेन्ट/प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले पाक्षिक प्रतिवेदन में किया जायेगा व्यापारी एवं कमीशन एजेन्ट को प्रारूप-तेरह(क) एवं तेरह(ख) में प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व विवरणीयां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

परन्तु प्रत्येक अधिसूचित कृषि उपज को यथास्थिति निर्गमित किए जाने के पूर्व अथवा उसे कय किये जाने/ प्रसंस्करण के लिए लाए जाने से चौदह दिवस में मंडी फीस का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

आढतियों से केता व्यापारियों के द्वारा किये गये कय-विक्रय का पाक्षिक विवरण प्रारूप दस 'क' एवं दस 'ख' केता व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। प्रारूप ग्यारह 'क' एवं ग्यारह 'ख' प्रसंस्करणकर्ताओं के लिये है (पाक्षिक विवरण प्रत्येक माह की 1 तारीख से 15 तारीख तक का 25 तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा एवं प्रत्येक माह की 16 तारीख से अंतिम तारीख तक का पाक्षिक पत्रक आगामी माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा।) अनुज्ञापत्र की सूची भी उसी समयावधि की होगी जिस समयावधि का विवरण पत्रक है। जैसा कि प्रारूप में स्पष्ट है, प्रत्येक जिन्स के विषय में पूरी-पूरी जानकारी पाक्षिक विवरण पत्रक में दर्ज की जायेगी पाक्षिक विवरण पत्रको का मिलान अनुबंध, बिक्री प्रमाणक एवं अनुज्ञापत्र पंजी से किया जायेगा। विशेष रूप से यदि अनुज्ञापत्र समयावधि अर्थात् 14 दिवस में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तब पन्द्रहवे दिन या उसके पश्चात ब्याज सहित मण्डी फीस वसूल की जायेगी। समय पर विवरण पत्रक प्राप्त नहीं होने का तत्कालिक प्रभाव यह होगा कि उस कमीशन एजेन्ट/फर्म को अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया जायेगा। कृषि उपज के निर्गमन, विक्रय, प्रसंस्करण के पूर्व मण्डी फीस जमा/वसूल करना आवश्यक है इसके विवरण प्रारूप-दस 'क', 'ख' एवं प्रारूप-ग्यारह 'क', 'ख' में आढतियों से केता फर्म/प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले पाक्षिक प्रतिवेदन में किया जायेगा व्यापारी एवं कमीशन एजेन्ट को प्रारूप-तेरह(क) एवं तेरह(ख) में प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व विवरणीयां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

परन्तु प्रत्येक अधिसूचित कृषि उपज को यथास्थिति निर्गमित किए जाने के पूर्व अथवा उसे कय किये जाने/ प्रसंस्करण के लिए लाए जाने से चौदह दिवस में मंडी फीस का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

कृषि उपज मंडी समिति..... जिला.....(म.प्र)

प्रारूप-एक (यथा संशोधित)

अनुबंध/तौल/भुगतान पत्रक

(उपविधि की कण्डिका 4(4),4(5)(2),4(5)(3)) के अन्तर्गत

पुरतिका कं.....

सरल कं.....

1. दिनांक .....
2. क्रेता/कमीशन एजेंट नाम एवं लायसेंस नम्बर..... मोबाइल नं.....
3. विक्रेता/कृषक का नाम..... पता.....

कृषि उपज का नाम	अनुबंध/सौदा मात्रा	तौल के आधार पर वास्तविक वजन	दर	कृषि उपज का मूल्य
1	2	3	4	5

कुल कीमत	तुलाई/हम्माली कटौती	शुद्ध देय रकम	विक्रेता/कृषक को भुगतान	
			नगद भुगतान राशि	आरटीजीएस/एनईएफटी/ऑनलाईन बैंकिंग से भुगतान राशि यूटीआर विवरण
6	7	8	9	10

क्रेता/कमीशन एजेंट के हस्ताक्षर

विक्रेता/कृषक के भुगतान प्राप्ति के हस्ताक्षर

नोट--(1) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2) (क) मंडी प्रांगण में कय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में किया जायेगा, धारा 37(2) (ख) के अधीन भुगतान नहीं करता है तो वह विक्रेता को देय कृषि उपज की कुल कीमत के एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान पाँच दिन के भीतर करने का दायी होगा धारा 37(2)(ग) यदि क्रेता उपरोक्त खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन विक्रेता को भुगतान के साथ अतिरिक्त भुगतान ऐसे कय के दिन से पाँच दिन के भीतर नहीं करता है तो उसकी अनुज्ञप्ति छठवे दिन को रद्द कर दी गई समझा जायेगी और उसे या उसके नातेदार (धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट अभिप्रेत अनुसार) को ऐसे रद्दकरण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जाएगी।

- (2) क्रेता द्वारा विक्रेता/कृषक को किसी भी स्थिति में भुगतान हेतु चेक जारी नहीं किये जा सकेंगे।
- (3) आरटीजीएस/एनईएफटी/ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से राशि विक्रेता/कृषक के खाते में स्थानान्तरण के प्रमाणिकरण के स्वरूप संबंधित बैंक की जमा पर्ची/रसीद व यूटीआर नम्बर संलग्न करें।
- (4) विलम्ब से भुगतान की दशा में अतिरिक्त भुगतान राशि रूपये .....

सील सहित हस्ताक्षर कमीशन एजेंट


प्ररूप  
कृषि उपज मंडी समिति..... जिला.....(म.प्र.)  
दैनिक विक्रय विवरण पत्रक [उपविधि की कण्डिका क. 8(8) के अंतर्गत]

नाम फर्म ..... दिनांक.....

क	अनुबंध/तौल/बिक्री प्रमाणक क्रमांक	कृषक का नाम	जिन्स	केता का नाम	मात्रा/वजन	भाव	कीमत
1	2	3	4	5	6	7	8

सील सहित हस्ताक्षर कमीशन एजेन्ट

मण्डी समिति मे सम्मेलन आहूत करने की विनिर्दिष्ट कालावधि मे मण्डी समिति द्वारा उपविधि एवं प्ररूपो को उपरोक्तानुसार संशोधित करने मे असफल रहने की स्थिति मे उपविधि एवं प्ररूप के उक्त संशोधन इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमो के उपबंधो के अनुसार मण्डी समिति द्वारा किये गये समझे जाएंगे और तदुपरि उक्त संशोधन दिनांक 15/12/2018 से मण्डी समिति पर आबद्धकर होंगे।



(फैज अहमद किदवाई)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक

01<sup>o</sup> म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड


भोपाल

क./बी-6/नि./उपविधि संशो./36/पार्ट-4/691

भोपाल, दिनांक 05/12/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. संयुक्त/उपसंचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/सागर/रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपविधि मे उपरोक्त संशोधन विनिर्दिष्ट कालावधि मे नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को अविलम्ब प्रेषित करे।
3. अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.....जिला..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। उपविधि मे उपरोक्त संशोधन विनिर्दिष्ट कालावधि मे नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय को अविलम्ब प्रेषित करे।
4. उपविधि संशोधन नस्ती-36/गार्ड फाइल/एमआईएस शाखा/प्रांगण शाखा।

  
आयुक्त सह प्रबंध संचालक

01<sup>o</sup> म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल